दिनांक 13.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा आनलाइन साईबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते मे 1,00,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2025 को आवेदक श्री विकास खरबन्दा पुत्र सुदर्शन कुमार निवासी गुरुद्वारा रोड मोर वाली कोठी गर्मी मण्डी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2,00,000/- रूपये धोखाधडी करके साईबर ठगी के सम्बन्ध में दिनांक 23.05.2025 को थाना हाजा पर साईबर शिकायत संक्या 23105250076093 प्राप्त हुयी।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,साइबरअपराध की रोकथाम व साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना कुतुबशेर पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त फ्रॉड में गयी धनराशि 1,00,000/- रूपये आवेदक श्री विकास खरबन्दा उपरोक्त के खाते में वापस करायी गयी है। पीडित के शेष रुपये वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है। पीडित/आवेदक श्री विकास खरबन्दा द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -

1. प्र0नि0 श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. कम्प0आपरेटर ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. हैड का0 886 रीतू ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

महत्वपूर्ण नोट- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साईबर सैल के सीयूजी नम्बर 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।

दिनांकः 13.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 13.01.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त **हसीब पुत्र इदरीश निवासी मौ0 कौल्हाबस्ती कस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या- 1224/25 मु0अ0स0 701/23 धारा 279/323/504/506/354(बी) भादवि को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी /अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीब पुत्र इदरीश निवासी मौ0 कौल्हाबस्ती कस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजब सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. का0 2253 संजय थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

हाईवे पर जानलेवा स्टंट पर सख़्त एक्शन – गागलहेड़ी पुलिस की त्वरित कार्यवाही

अवगत कराना है कि दिनांक **12.01.2026** को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक द्वारा **गागलहेड़ी–मुज़फ्फरनगर हाईवे** पर मोटरसाइकिल से **खतरनाक व जानलेवा स्टंट** किया जा रहा था। यह कृत्य न केवल स्वयं चालक के लिए, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।इसी क्रम में **पुलिस अधीक्षक नगर** एवं **क्षेत्राधिकारी सदर** के निकट पर्यवेक्षण में तथा **प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक **13.01.2026** को **थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम** द्वारा गागलहेड़ी-मुजफ्फरनगर हाईवे पर जानलेवा स्टंट करने वाले युवक की पहचान कर उसकी मोटरसाइकिल **रजिस्ट्रेशन संख्या – UK07DN-1435 (KTM Duke 200)** को सीज किया गया एंव भविष्य में इस प्रकार के **खतरनाक स्टंट न करने की सख्त हिदायत** दी गई।

स्टंट करने वाले युवक का नाम व पता:-

1.फैजान पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

➡ सहारनपुर पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क पर किसी भी प्रकार का स्टंट या जोखिमपूर्ण गतिविधि न करें।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.01.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी/अभियुक्त **राजन सैनी पुत्र मदनपाल सैनी निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 193/23 धारा 125(3)जा0फो0/144(3) बीएनएस को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता –

राजन सैनी पुत्र मदनपाल सैनी निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।

2.उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 717 सुशील कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 13.12.2025

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस एंव यू0पी0एस0टी0एफ0 की संयुक्त टीम द्वारा जीएसटी चोरी के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाइल ,01 चैक बुक ,01 पैनकार्ड एंव 01 लैपटॉप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2025 को वादी परितोष कुमार मिश्रा आयुक्त राज्य कर अधिकारी खण्ड 08 सहारनपुर की लिखित तहरीर पर शौर्या फर्म आदि के नाम थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-420/25 धारा 318(4)/338/336(2)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी,लूट, नकबजनी,जीएसटी चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 12.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा जीएसटी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर अभियुक्तगण **1. मोहम्मद शादाब पुत्र स्व० भूरे खान नि०-प्लाट नं0-149 टाप फ्लोर फ्लैट न०-2 शालीमार गार्डन साहिबाबाद थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद 2. मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद रफीक, निवासी ई/56, आर 31, विलेज खेड़ा, नियर स्वामी दयानंद हास्पिटल, शाहदरा, दिल्ली वर्तमान फारूखनगर, असालतपुर, लोनी गाजियाबाद** को शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 07 मोबाइल फोन, 01 चैक बुक, 01 पैनकार्ड एंव 01 लैपटॉप बरामद हुए।गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आलम ने बताया कि मैंने वर्ष 2018 मे टैली(TALLY) की ट्रेनिंग की थी। उसके बाद करोल बाग में कपड़े की दुकान पर वर्ष 2022 तक कार्य किया। मेरी मुलाकात मेरठ मे आरटीओ आफिस के पास रहने वाले मौहसीन सैफी से मुस्तफाबाद जमुना विहार मे वर्ष 2023 में हुई थी। मोहसीन ने मुझसे अपनी तीन फर्मो की बिलिंग के लिए कहा। शादाब भी टेली का कार्य का जानकार था।हम दोनो मोहसीन की फर्मो का बिलिंग का कार्य करने शुरु कर दिया था। मोहसीन के द्वारा मुझे शुरूआत में 25000/- रूपये दिये जाते थे।मोहसीन की बोगस फर्मे ज्यादा थी। बाद में हम दोनो ने बिलिंग का कार्य छोड़कर मौहसीन की सभी बोगस फर्मो की जीएसटी आर-1, 3बी रिटर्न का कार्य करने लगे थे।बीलिंग करने वाले एंकाउन्टेंट मोहसीन की बोगस फर्मो की बिलिंग कर उनका डेटा शादाब के ब्हाटसएप नं0 9718695943, 999790484, 8750309147 पर भेज देते थे। जीएसटी आर-1 3बी रिटर्न शादब द्वारा दाखिल किया जाता था। जीएसटी आर-1, 3बी रिटर्न दाखिल होने के बाद फर्म की पीडीएफ फाइल शादाब द्वारा मौहसीन को भेज दी जाती थी। कुछ समय बाद शादाब को इसी कार्य के लिये 50 हजार रूपये महिने दिया जाने लगा। शादाब द्वारा यह कार्य अपने घर से किया जाता था। शादाब द्वारा 05 माह पहले की एक आफिस बी-1, बी-2 ग्राउण्ड फ्लोर नियर भगत सिंह डी0एल0एस दिलशाद गार्डन गाजियाबाद मे खोला गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि जाली दस्ताबेजो का प्रयोग कर बोगस फर्मे रजिस्टर्ड की गई थी। जिनके दस्तावेज आलम निवासी फरूखनगर टीला मोड़ गाजियाबाद रखा गया था। शादाब एक बोगस फर्म के दस्तावेज बनाने के 10,000/- रूपये लेता था। जाली दस्तावेजो में जो पैनकार्ड/आधारा कार्ड इस्तेमाल होता था। वह वास्तविक धारक का होता था। क्योकि फर्म का जीएसटी रजि0 करते समय उसका ओटीपी आधार से लिक मोबाइल पर ही जाता था। फर्म के रजिस्टेसन मे कोई भी नं0 डाल दिया जाता था तथा शादाब द्वारा भी कई बोगस फर्मे बनायी गयी थी। मेरे तथा शादाब के द्वारा उन फर्मो से प्रति एक करोड़ के बिल पर एक लाख रूपये कमिशन लिया जाता था। सैल पर्चेज को वास्तविक रूप देने के लिए बोगस/बास्तविक फर्मो से कैश/एकाउण्ट मे जमा करा दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मोहम्मद शादाब पुत्र स्व० भूरे खान नि०-प्लाट नं0-149 टाप फ्लोर फ्लैट न०-2 शालीमार गार्डन साहिबाबाद थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद
2. मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद रफीक, निवासी ई/56, आर 31, विलेज खेड़ा, नियर स्वामी दयानंद हास्पिटल, शाहदरा, दिल्ली वर्तमान फारूखनगर, असालतपुर, लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

- 07 मोबाईल फोन
- 01 पैन कार्ड
- 01 चैक बुक
- 01 लैपटॉप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विपिन कुमार थाना सदर बाजार
2. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना सदर बाजार
3. उ0नि0 अमरीश कुमार थाना सदर बाजार
4. है0का0 714 नितिन कुमार थाना सदर बाजार
5. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार
6. उ०नि० जावेद आलम सिददीकी -यू०पी०एस०टी०एफ० लखनऊ टीम
7. उ०नि० चन्द्रप्रकाश मिश्रा- यू०पी०एस०टी०एफ० लखनऊ टीम
8. है0का0 कवीन्द्र साहनी- यू०पी०एस०टी०एफ० लखनऊ टीम
9. है0का0 मृत्युंजय कुमार सिंह- यू०पी०एस०टी०एफ० लखनऊ टीम

दिनांक - 13.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा पीआरवी पर तैनात आरक्षी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.01.2026 को वादी आरक्षी राहुल नागर की लिखित तहरीर बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा पीआरवी पर तैनात ऑन ड्यूटी आरक्षीगण के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 10/26 धारा 115(2),122,132(2),351(2),352 बी.एन.एस. बनाम राहुल शर्मा व तीन अज्ञात आदि पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों के दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना में शामिल 03 अभियुक्तगण **1. राहुल शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी पुष्पांजलि विहार थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 2. सुहैल पुत्र इस्तकार निवासी ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 3. सुहैल पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम सरकडी शेख थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को शान्ति व्यवस्था भंग करते हुये अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी पुष्पांजलि विहार थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. सुहैल पुत्र इस्तकार निवासी ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. सुहैल पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम सरकडी शेख थाना को0देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है0कां0 574 अश्वनी, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. कां0 1766 मोहन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक - 13.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में एक युवक के साथ मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी सचिन बिलाल पुत्र मामू निवासी पंजाबी बाग थाना सदर बाजार की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के साथ मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 04/26 धारा 191(2),115(2),351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण लूट,चोरी,डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.01.2026 को थाना जनकपुरी की मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 वांछित अभियुक्तगण **1. सागर पुत्र मेसोराम निवासी मो0 मोंगा गढ वाल्मीकि बस्ती बेहट रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 2. अमन उर्फ काक्का पुत्र बिट्टू निवासी नुमाइश कैम्प केशव नगर वाल्मीकि बस्ती थाना को0नगर जिला सहारनपुर, 3. शक्ति उर्फ शानू पुत्र रामसिहं निवासी शान्तिनगर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 4. राजकुमार पुत्र सोमप्रकाश निवासी केशव नगर वाल्मीकि बस्ती थाना को0नगर जिला सहारनपुर** को शान्ति व्यवस्था भंग करते हुये अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सागर पुत्र मेसोराम निवासी मो0 मोंगा गढ वाल्मीकि बस्ती बेहट रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. अमन उर्फ काक्का पुत्र बिट्टू निवासी नुमाइश कैम्प केशव नगर वाल्मीकि बस्ती थाना को0नगर जिला सहारनपुर
3. शक्ति उर्फ शानू पुत्र रामसिहं निवासी शान्तिनगर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
4. राजकुमार पुत्र सोमप्रकाश निवासी केशव नगर वाल्मीकि बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री शिवराज तोमर, थाना जनकपुरी,सहारनपुर
2. है0कां0 976 रविन्द्र, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. है0कां0 85 रमेश, थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक:13.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग मे वान्छित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 27/12/2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व कपडे फाड देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 373/25 धारा 191(2), 76,115(2),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। तथा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान अभियुक्त बृजपाल पुत्र बिरमपाल निवासी मौह्ला कोठीवाला कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर अवैध सम्बन्ध बनाने का अपराध पाये जाने पर धारा 69 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्त 1. बृजपाल पुत्र बिरमपाल निवासी मौहल्ला कोठीवाला कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को पटनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. बृजपाल पुत्र बिरमपाल निवासी मौहल्ला कोठीवाला कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- है0का0 461 धर्म सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- का0 2550 प्रदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक 13.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 104 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 20,80,000/- रू0) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 13/01/26 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त ***अब्दुल गफ्फार पुत्र कामिल निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*** को नकुड रोड निर्माणाधीन हाईवे के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **अब्दुल गफ्फार** उपरोक्त से अवैध स्मैक कुल वजन 104 ग्राम बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 26/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अब्दुल गफ्फार उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र कामिल निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- अवैध स्मैक कुल वजन 104 ग्राम

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 646/11 धारा 279/304ए भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 297/20 धारा 406/409/411/420 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 624/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 220/23 धारा 15/29/37/8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 341/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 69/15 धारा 406 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0 26/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 1131 सूरज शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर